



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072022-237487
CG-DL-E-23072022-237487

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3181]
No. 3181]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

का. आ. 3342(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के बालेश्वर जिले में NH16 के कि.मी. 136.5 से कि.मी.150 (एट/पोष्ट/पि.एस-सिमुलिआ, डिस्ट्रिक्ट - बालासोर, (ओडिशा)) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१०.०३.२०२२" को "सम्बाद" और "उड़ीसा पोस्ट" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के बालेश्वर जिले में NH16 के कि.मी. 136.5 से कि.मी.150 (एट/ पोष्ट/ पि.एस- सिमुलिआ, डिस्ट्रिक्ट - बालासोर, (ओडिशा)) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: बालेश्वर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सिमिलिआ				
	गांव का नाम: राधाबल्लवपुर				
1	1746	सरकारी	नयनजोरी	0.0647511	रस्ता & गृह निर्माण बिभाग (1746)
2	1775	सरकारी	गोचर	0.3237556	रखित (1775)
3	1832	सरकारी	आदि	0.0202347	रखित (1832)
4	1908	सरकारी	बस्ती जोग्य	0.0404695	रखित (1908)
5	1914	निजी	चक 202	0.0141643	राधाबल्लवपुर प्रस्ताबित स्वास्तय कैन्ड्रा परिचालन कमिटी मार्फत: भावग्राही नायक, ऍस्/ओ- आनंद नायक अन्ड अदर (1914)
	गांव का नाम: सिमिलिआ-137				
6	43	निजी	नयनजोरी	0.0064751	अभय कुमार बहेरा, विजय कुमार बहेरा, ऍस्/ओ- रामचन्द्र बहेरा (43)
7	54	सरकारी	रस्ता	0.0020235	मार्कोना ग्रामपंचायत (54)
			कुल	0.4718738	

[फा. सं. NHA/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2022

S.O. 3342(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH16 on the stretch of land from Km. 136.5 to Km. 150 (At/Po/PS- Simulia, Dist- Balasore, (Odisha)) in the district of BALASORE in the state of ODISHA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sambad” and “Orissa post” both dated 10.03.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH16 in the stretch of land from Km. 136.5 to Km. 150 (At/Po/PS- Simulia, Dist- Balasore, (Odisha)) in the district of BALASORE in the state of ODISHA.

State: ODISHA		District: BALASORE			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Similia				
	Village: Radhaballavpur				
1	1746	Government	Nayanjori	0.0647511	Rasta & Gruha Nirmana Bibhaga 1746
2	1775	Government	Gochar	0.3237556	Rakhita 1775
3	1832	Government	Adi	0.0202347	Rakhita 1832
4	1908	Government	Basti jogya	0.0404695	Rakhita 1908
5	1914	Private	Chaka 202	0.0141643	Radhaballavpur Prastabita Swastya Kendra parichalana committe Marfat: Bhabagrahi Nayak, S/O- Ananda Nayak and Other 1914

	Village: Similia-137				
6	43	Private	Nayanjori	0.0064751	Abhay Kumar Behera, Bijay Kumar Behera, S/O- Ramachandra Behera 43
7	54	Government	Rasta	0.0020235	Markona GramaPanchayat 54
			TOTAL	0.4718738	

[F. No. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16/3D1]

RAJESH GUPTA, Director